राजेश कुमार, भा.प्र.से., आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा दिनांक-12.05.2026 को प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, अमौर एवं बैसा, पूर्णिया तथा अवर निबंधन कार्यालय, अमौर का किये गये औचक निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी :-

आज दिनांक-12.05.2026 को 10.30 बजे पूर्वाह्न से प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, अमौर एवं बैसा तथा अवर निबंधन कार्यालय, अमौर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी तथा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी उपस्थित थे।

निरीक्षण के उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्रवाई का निदेश दिया जाता है :-

1. निरीक्षण के क्रम में यह बताया गया कि अमौर प्रखंड कार्यालय का रोकड़ पंजी तथा अन्य वित्तीय पंजियों की जाँच जिला स्तर से गठित टीम द्वारा की जा रही है। इस संबंध में बताया गया कि श्री अरविन्द कुमार, पूर्व नाजीर द्वारा विधिवत प्रभार नहीं दिया गया है। निरीक्षण के क्रम में उपस्थित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी (जो जाँच टीम के भी सदस्य हैं) द्वारा बताया गया कि लगभग 14.8 लाख रूपयें की राशि के संदर्भ में कैश बुक की जाँच की जा रही है। किन्तु कार्यालय में रोकड़ वही का अद्यतन संधारण नहीं रहना उचित स्थिति नहीं है।

   अतः इस संबंध में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को आदेश दिया जाता है कि रोकड़ पंजी की जाँच यथाशीघ्र पूर्ण करायी जाय। तथा यदि रोकड़ पंजी में राशि विचलन की स्थिति पायी जाती है तो तत्कालीन नाजीर के खिलाफ कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए नियमित राशि की वसूली सुनिश्चित की जाय। साथ ही कार्यालय में रोकड़ वही तथा अन्य वित्तीय पंजियों का अद्यतन संधारण 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाय।

2. प्रखंड-सह-अंचल, कार्यालय, अमौर के कार्यालय में काफी गंदगी पायी गयी। अनावश्यक सामग्री प्रखंड कार्यालय में यत्र-तत्र रखा पाया गया। परिसर में भी साफ सफाई का अभाव पाया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्यालय एवं परिसर के विधिवत साफ-सफाई कराने का निदेश दिया गया। साथ ही प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय परिसर में खाली पड़े जगहों को चिन्हित कर मनरेगा अथवा अन्य योजना के माध्यम से सघन वृक्षारोपण कराने का निदेश दिया जाता है।

3. प्रखंड कार्यालय, अमौर में रोकड़ पंजी दिनांक-31.03.2026 तक संधारित पाया गया। यह पाया गया कि अग्रिम मद में लगभग 74.5 लाख जबकि लगभग 2.33 करोड़ का अभिश्रव समायोजन हेतु कार्यालय में लंबित है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमौर को अभियान चलाकर लंबित अग्रिम अभिश्रव के समायोजन की कार्रवाई का निदेश दिया जाता है। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया इसका Monitoring करेंगे।

   अतः उपरोक्त समायोजन की कार्रवाई में Substantial प्रगति होने तक संबंधित प्रधान लिपिक एवं नाजीर का वेतन भुगतान स्थगित रहेगा। इस संबंध में जिला पदाधिकारी समीक्षा कर आदेश निर्गत करेंगे।

अवर निबंधक कार्यालय, अमौर

1. अवर निबंधन कार्यालय एवं परिसर प्रथम दृष्टया अव्यवस्थित पाया गया। कार्यालय एवं कार्यालय परिसर में काफी गंदगी फैली हुई थी। ऐसा लगता है कि कार्यालय में कई दिनों से साफ-सफाई नहीं हुआ है।

2. कार्यालय परिसर में काफी भीड़ देखा गया। दस्तावेजों के निबंधन से संबंधित विभिन्न पटल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कार्य की गति काफी धीमी है तथा दस्तावेज निबंधन कराने वाले लोग बड़ी संख्या में इंतजार करते हुए पाये गये।

3. निरीक्षण के समय श्री सुशील कुमार, अवर निबंधक, अमौर अनुपस्थित पाये गये। पूछने पर लिपिक द्वारा बताया गया कि वे आवश्यक कार्य से जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्णिया गये है। इस संबंध में अवर निबंधक से दूरभाष पर वार्ता की गई। यह विदित हुआ कि अवर निबंधक वस्तुतः पूर्णिया शहर में रहते हैं। जिसके कारण अधिकांशतः विलम्ब एवं अनियमित रूप से कार्यालय दायित्वों का सम्पादन करते हैं। यह चिन्ताजनक स्थिति है तथा इससे स्थानीय लोगों को काफी कठिनाई परिलक्षित है।

4. निरीक्षण में पाया गया कि लेख्यकारी/लेखाधारी का फिंगर प्रिंट तथा फोटोग्राफ ऑनलाईन अपलोड करने के लिए कार्यभारित कार्यपालक सहायक मो0 अनवर आलम अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये। उनके संदर्भ में भी यह विदित हुआ कि वे भी पूर्णिया शहर में रहते हैं। इसके अलावे यह भी पाया गया कि कार्यभारित कर्मी के बदले अनियमित रूप से अन्य कार्यपालक सहायक श्री पन्ना लाल विश्वास उनका कार्य कर रहे हैं। यह पूरी तरह से अवर निबंधन कार्यालय में अनियमित कार्यकलाप का प्रमाण है। निरीक्षण में यह स्पष्ट होता है कि अवर निबंधन कार्यालय, अमौर में कार्य में काफी लापरवाही बरती जा रही है तथा पदाधिकारी एवं कर्मी मनमाने ढ़ंग से कार्यालय आते है, जो उचित स्थित नहीं है।

5. श्री सुशील कुमार, अवर निबंधक, अमौर को उपरोक्त बिन्दुओं के संदर्भ में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया जाता है। अवर निबंधक तत्काल प्रभाव से अमौर में ही अपना आवासन सुनिश्चित करेंगे। अवर निबंधन कार्यालय में अन्य सभी कर्मी भी अमौर में ही अवासन करते हुए अपने कार्यालय कार्यो का ससमय निष्पादन करेंगे।

6. अवर निबंधन कार्यालय, अमौर की स्थिति को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी के स्तर से निर्गत आवासन संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर ही माह मई - 2026 से इनके वेतन का भुगतान किया जायेगा।

7. कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा अपना युजर आई.डी./पासवर्ड अन्य कर्मी को देने के संदर्भ में मो0 अनवर आलम को 3 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण देने का निदेश दिया जाता है। श्री पन्ना लाल विश्वास, कार्यपालक सहायक द्वारा अन्य कर्मी का आई.डी./पासवर्ड युज करने के संबंध में 3 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया जाता है। इस प्रकार का कार्यकलाप गंभीर अनियमितता को इंगित करता है। अतः उपरोक्त दोनों कार्यपालक सहायक अपना स्पष्टीकरण देगें कि क्यों नहीं उक्त प्रमाणित कदाचार के लिए उनकी संविदा सेवा समाप्त कर दी जाय।

<u>प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, बैसा</u>

1. प्रखंड कार्यालय, बैसा में सामान्य रोकड़ बही दिनांक-31.03.2026 तक संधारित पाया गया। यह पाया गया कि अग्रिम मद में लगभग 01 करोड़ राशि है जबकि लगभग 02.84 करोड़ राशि का अभिश्रव समायोजन हेतु कार्यालय में लंबित है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैसा को अभियान चलाकर लंबित अग्रिम अभिश्रव के समायोजन की कार्रवाई का निदेश दिया जाता है। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया इसका Monitoring करेंगे।

अतः उपरोक्त समायोजन की कार्रवाई में Substantial प्रगति होने तक संबंधित प्रधान लिपिक एवं नाजीर का वेतन भुगतान स्थगित रहेगा। इस संबंध में जिला पदाधिकारी समीक्षा कर आदेश निर्गत करेंगे।

ह।-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 2540 पूर्णिया, दिनांक 13-5-2026

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णिया/ अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमौर/बैसा, अंचल पदाधिकारी, अमौर/बैसा, अवर निबंधक, अमौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajeek.
13/5/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।